

रटि क्षेत्राधिकार और राज्य

प्रलिस के लयि:

सरवोच्च न्यायालय (SC), अनुसूचति बैंक, NBFC, रटि क्षेत्राधिकार, राज्य, RBI, वैधानकि नकिय, मौलकि अधकिार, संसद, नगर पालकिारें, पंचायतें, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 32 और 226 ।

मेन्स के लयि:

नजि नकियों पर रटि अधकिारिता का अनुप्रयोग, रटि के प्रकार और दायरा ।

स्रोत: डेक्कन हेराल्ड

चर्चा में क्यों?

22. 22222 22222 222222 22222222 22222222 22222222, 2025 में, सरवोच्च न्यायालय (SC) ने नरिणय दयिा कि अनुसूचति बैंकों और NBFC सहति नजि कंपनयिों रटि क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं हैं क्योंकि वे सार्वजनकि कार्य या कर्त्तव्यों का पालन नहीं करती हैं ।

- सरवोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 12 के तहत NBFC " राज्य " नहीं हैं और 'कार्य' परीक्षण के आधार पर रटि आवेदन की स्वीकार्यता तय की जानी चाहयिे ।

मामले की मुख्य बार्ते क्या हैं?

- मामले की पृष्ठभूमि: अपीलकर्त्ता ने तर्क दयिा कि हालींकि NBFC अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" नहीं हैं, लेकनि RBI के नयिों का उल्लंघन करने वाली NBFC को रटि क्षेत्राधिकार के अधीन होना चाहयिे ।
- सरवोच्च न्यायालय का नरिणय: कसिी वधि के तहत वनियामक दशानरिदेशों के अधीन होने से कोई संस्था स्वत: ही रटि क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं हो जाती ।
- कार्य परीक्षण: रटि क्षेत्राधिकार केवल तभी लागू होता है जब कोई इकाई कसिी वधियिा वैधानकि नयिम द्वारा लगाए गए सरकारी या आवश्यक सार्वजनकि कार्यों जैसे सार्वजनकि कर्त्तव्यों का पालन करती है ।
 - रटि क्षेत्राधिकार राज्य प्राधिकरिणों, वैधानकि नकियों, राज्य के स्वामतिव वाले या वतितपोषति नजि नकियों और सार्वजनकि कर्त्तव्यों का पालन करने वाली नजि संस्थाओं पर लागू होता है ।
 - सामान्य जनमानस NBFC के कर्त्तव्यों के अधीन नहीं है; केवल खाताधारक और उधारकर्त्ता ही इसके अधीन हैं ।
- सार्वजनकि वधि की आवश्यकता: यद कि कोई नजि संस्था उस पर लगाए गए सार्वजनकि कर्त्तव्य से संबंधति अधकिारों से इनकार करती है, तो रटि लागू की जा सकती है ।

रटि क्या हैं?

- परिचय: रटि सांविधानकि न्यायालयों द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत नागरकिों के अधकिारों की रक्षा के लयिे जारी कयिा गया एक वधि कि आदेश है । इसका अंगीकरण अंगरेजी के "पररिगेटवि रटि" से कयिा गया है ।
- रटि जारी करने का प्राधिकार:
 - सरवोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32): केवल मूल अधकिारों (FR) के प्रवर्तन के लयिे रटि जारी कर सकता है ।
 - उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226): मूल अधकिारों और अन्य वधि कि अधकिारों के प्रवर्तन के लयिे रटि जारी कर सकते हैं ।
 - 1950 से पूर्व: केवल कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों को रटि जारी करने का अधकिार था ।
 - संसद (अनुच्छेद 32 के तहत): कसिी अन्य न्यायालय को रटि जारी करने का अधकिार दे सकती है, लेकनि अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं कयिा गया है ।

रटि के प्रकार और उनका दायरा:

रटि	उद्देश्य	के खिलाफ जारी	न्यायालय की भूमिका	जारी नहीं किया जा सकता यदि	उदाहरण
बंदी प्रत्यक्षीकरण	"को प्रस्तुत किया जाए" - अवैध हरिसत से व्यक्तियों का संरक्षण।	सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्ती जो वधि-विरुद्ध हरिसत के लिये ज़िम्मेदार है।	हरिसत की वधिमान्यता की जाँच करना तथा वधि-विरुद्ध होने की दशा में है स्वतंत्र किये जाने का आदेश देना।	हरिसत वधि सम्मत है, कार्यवाही किसी न्यायालय या वधिानमंडल की अवमानना के तहत हुई हो, सक्षम न्यायालय के द्वारा आदेशति हरिसत है, हरिसत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हुई हो।	यदि किसी व्यक्तीको वधिक न्ययोचितिय के बनिा हरिसत में लिया जाता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचकिका के माध्यम से उसकी र्हाई सुनश्चिति की जा सकती है।
परमादेश	" हम आदेश देते हैं " - किसी सार्वजनिक अधिकारी, नकियाय, नगिम, न्यायाधिकरण या सरकार को उस कर्तव्य को पूरा करने का नरिदेश जसि पूरा करने में वे असफल रहे हैं।	सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक नगिम, अधिकरण और न्यायालय।	किसी ऐसे कर्तव्य के नषिपादन का नरिदेश देना जसि पूरा न किया गया हो।	नजिी व्यक्तियों/इकाई के विरुद्ध, जब कर्तव्य वविकानुसार हो, ज़रूरी नहीं, संवदिात्मक दायतिव को लागू करने के विरुद्ध, राष्ट्रपति/राज्यपालों के विरुद्ध, मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं।	यदि कोई सरकारी अधिकारी सभी वधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद पासपोर्ट जारी करने से इनकार करता है, तो परमादेश रटि जारी की जा सकती है।
प्रतिषिध	"रोकना" - अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों को उनकी अधिकारति से उच्च कार्यों को करने से रोकने हेतु जारी किया जाता है।	उच्चतर न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय)।	वधि-विरुद्ध कार्यों या अधिकारति से उच्च कार्यों को करने से रोकना।	प्रशासनिक प्राधिकरण, वधियायी नकियाय, नजिी व्यक्ती/नकियाय।	यदि कोई ज़िला न्यायालय अपनी अधिकारति से बाहर किसी मामले का नरिणय लेता है, तो उच्च न्यायालय प्रतिषिध रटि जारी कर सकता है।
उत्प्रेषण	" प्रमाणति किया जाना है " - किसी मामले को स्थानांतरति करना या नचिली अदालत/न्यायाधिकरण के अवैध या असंवैधानिक आदेश को रद्द करना।	न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक नकियाय, प्रशासनिक प्राधिकरण (1991 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद)।	अवैध या असंवैधानिक आदेशों को रद्द करना , या मामलों को स्थानांतरति करना।	वधियायी नकियाय, नजिी व्यक्ती/संगठ।	यदि कोई न्यायाधिकरण प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करते हुए कोई गैरकानूनी आदेश पारति करता है, तो उच्च न्यायालय उत्प्रेषण आदेश का उपयोग करके उसे रद्द कर सकता है।
अधिकार पृच्छा	" कसि प्राधिकार द्वारा " - किसी ऐसे व्यक्ती द्वारा कसि सार्वजनिक कार्यालय पर अवैध कब्जे को रोकता है जो उस कार्यालय को धारण करने का हकदार नहीं है।	कोई भी व्यक्ती गलत तरीके से कसि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पद पर आसीन है।	सार्वजनिक कार्यालयों पर अवैध कब्जे को चुनौती दी गई।	नजिी कार्यालय, मंत्रसित्रीय (गैर-मूलभूत) कार्यालय।	यदि किसी व्यक्तीको कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किये बनिा मंत्री के रूप में नयिक्त किया जाता है, तो अधिकार पृच्छा (क्वो वारंटो) रटि जारी की जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के रटि क्षेत्राधिकार में अंतर:

पहलू	सर्वोच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय
परवर्तन का दायरा	केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिये रटि जारी कर सकते हैं।	मौलिक अधिकार और अन्य कानूनी अधिकारों के लिये रटि जारी कर सकते हैं (व्यापक दायरा)।
प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र	संपूर्ण भारत में रटि जारी कर सकता है।	वह केवल अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही रटि जारी कर सकता है, सवियाय तब जब वाद का कारण उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न हो।

अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परभाषा क्या है?

- **परचिय:** अनुच्छेद 12 में भाग III (FR) के प्रयोजनों के लिये "राज्य" शब्द को परभाषित किया गया है जसिका उपयोग मौलिक अधिकारों से संबंधित वभिन्न प्रावधानों में किया गया है।
- **'राज्य' का दायरा:** अनुच्छेद 12 के अनुसार, राज्य में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - भारत सरकार और संसद अर्थात् संघ की कार्यपालिका तथा वधायिका।
 - प्रत्येक राज्य की सरकार और वधानमंडल अर्थात् भारत के वभिन्न राज्यों की कार्यपालिका तथा वधानमंडल।
 - भारत के राज्यकर्षेत्त्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरणजैसे LIC, ONGC, SAIL, आदि।
 - इस प्रकार राज्य को **व्यापक अर्थ** में परभाषित किया गया है ताकि **इसकी सभी एजेंसियों को इसमें शामिल** किया जा सके। इन एजेंसियों के कार्यों को मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के रूप में न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है।
- **न्यायिक दृष्टिकोण:** 1997, 1998, 1999, 2005 में **सर्वोच्च न्यायालय** ने माना कि **राज्य के साधन** के रूप में कार्य करने वाला **नजिी नकियाय या एजेंसी भी अनुच्छेद 12** के तहत 'राज्य' के अर्थ में शामिल है।

//



गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC)

एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) ऋण प्रदान करती है, वित्तीय प्रतिभूतियाँ प्राप्त करती है, तथा पट्टे और बीमा सेवाएँ प्रदान करती है। हालाँकि, इसमें मुख्य रूप से कृषि, औद्योगिक गतिविधियों, व्यापार या रियल एस्टेट में लगी कंपनियाँ शामिल नहीं होती हैं।

परिचय:

- बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है; भुगतान प्रणाली का हिस्सा नहीं होती है; चेक जारी नहीं कर सकती।
- डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन द्वारा बीमा → NBFC जमाकर्ताओं के लिये उपलब्ध नहीं होता है।
- सार्वजनिक जमा 12 से 60 महीनों के लिये स्वीकार किये जा सकते हैं (कोई मांग जमा (डिमांड डिपॉजिट) नहीं)।
- NBFC को निवेश-ग्रेड क्रेडिट रेटिंग की आवश्यकता होती है।
- डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन द्वारा बीमा → NBFC जमाकर्ताओं के लिये उपलब्ध नहीं होता है।
- प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएँ - व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, वाहन ऋण, स्वर्ण ऋण, माइक्रोफाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, बीमा सेवाएँ, निवेश प्रबंधन।



वर्गीकरण:

प्रमुख गतिविधि के आधार पर:

- एसेट फाइनेंस कंपनी
- निवेश कंपनी
- ऋण कंपनी
- इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी
- कोर निवेश कंपनी
- इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड
- माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (NBFC-MFI) मालागाम संग्रहित की सिफारिश
- NBFC-फैक्टर्स
- बंधक गारंटी कंपनियाँ
- नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंसियल होल्डिंग कंपनी

वर्गीकरण:

जमा के आधार पर:

- जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
- जमा न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण (NBFC-NDSI)
- जमा धारित न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC-ND)

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण NBFC:

500 करोड़ रुपए या उससे अधिक की परिसंपत्ति वाले NBFC

विनियमन:

संस्था का प्रकार	नियामक प्राधिकरण
RBI के साथ पंजीकृत NBFC	राष्ट्रीय आवास बैंक
RBI के साथ पंजीकृत NBFC	राष्ट्रीय आवास बैंक
मर्चेन्ट बैंकिंग कंपनियाँ, वेंचर कैपिटल फंड कंपनियाँ, स्टॉक ब्रोकिंग, सामूहिक निवेश योजनाएँ (CIS)	सेबी
निधि कंपनियाँ, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनियाँ	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA)
चिट फंड कंपनियाँ	राज्य सरकार
बीमा कंपनी	IRDA
गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियाँ	कंपनी अधिनियम 1956 के तहत विनियमन पर्यवेक्षण और निगरानी। नियामक- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय प्रवर्तन एजेंसी- राज्य सरकारें

NBFC के लाभ:

- वित्तीय समावेशन
- नवोन्मेषी उत्पाद
- चलनिधि
- MSME के लिये सहयोगी

NBFC की चुनौतियाँ:

- वित्तपोषण संबंधी बाधाएँ
- परिसंपत्ति गुणवत्ता और ऋण जोखिम
- नियामक अनुपालन
- कॉर्पोरेट प्रशासन



नषिकरष

सरवोचुन नुतुतलतुत और उचुन नुतुतलतुत डुलकु और कानुनी अधकुरुकु के उलुलनुन कु संबुधतु करनु के लतु रतु कुरु करतु हूँ , कु सरवुकनुकु करतवुतु कु डलनु करनु वलुी संसुतुतुतु डर कुँदरतु हुतु हूँ । रतु कुषुतुरधकुरु इस अधर डर नरुधरतु कतु कुरुतु हूँ कसुसुतुतु सरवुकनुकु करतवुतु कु डलनु करतु हूँ तु नरुी । कुवल वूधरनुकु नकुतुतु और सरकुरुी करुतु वलुी संसुतुतुतु हूी रतु के अधुन हूँ ।

दृषुतु डुखुतु डरुीकुषु डरुशुन:

डरुशुन: डरतुीतु संवधुन के अनुकुषुद 32 और 226 के तहत रतु कुषुतुरधकुरु के दतुतु डर कुरुतु कुरुकुरुतु ।

UPSC सवलु सवु डरुीकुषु, वगत वरुष के डरुशुन

????????

डरुशुन: नडुनलखुतु डु से कुनु डरतु के संवधुन कुरु संरकुषक हूँ? (2015)

- (a) डरतु के ररषुतुरडतु
- (b) डरतु के डरुधरनु डनुतुरी
- (c) लुक सडुतु सकवलतुतु
- (d) डरतु कुरु सरवोचुन नुतुतलतुतु

उतुतर: D

??????:

डरुशुन. नुतुतुतु वधुन, डरतुीतु संवधुन डु डरकुलुडतु शकुरुतुतु के डुथकुरुकुरुन के सदुधरनुतु कुरु डरतुडकुषुी हूँ । इस संदरुड डु कुरुतुडरलक अधकुरुकुरुतु कु दशुतु-नरुदुशु दनुे कु डररुशुनरुतु करनुे संबुधु डकुी संखुतुतु डु दतुतु हुनुे वलुी लुक हतुतु तुरुकुरुकुरुतुतु कुरु नुतुतुतु औकतुतुतु सदुध कुरुकुरुतुतु । (2020)